न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—29/2021 (2021/73) वाद पत्र

उनवान

1—नारायण पिता केसर गुर्जर नाबाबेवि माता मानी गुर्जर निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर
वादी

बनाम

1—केसर पिता भैरा गुर्जर निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—अणछी पत्नि लक्ष्मण गुर्जर निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—गणेश पिता कीका गुर्जर निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—सुन्दरदेवी पत्नि भैरूलाल गुर्जर निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
6—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद — वादी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—22.02.2022

पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एक ही हिन्दु परिवार के सदस्य होकर मूल पुरूष भैरा पिता कीका गुर्जर थे जिसके 2 पुत्र केसर व लक्ष्मण व 2 पुत्रीयां नन्दु व सोनी है। खातेदार लक्ष्मण लाओलाद फौत हुआ। जिसने अपने जीवन काल में केसर अपने भाई के पुत्र नारायण को गोद रखा। तथा नारायण को जाति समाज से पगड़ी बंधवाकर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। हिन्दु संयुक्त परिवार की पैतृक एवं पुश्तैनी सम्पति कृषि आराजियात राजस्व ग्राम गल्यावडी पटवार मण्डल खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा में स्थित हैं जो इस प्रकार हैं — आराजी संख्या 98 रकबा 0.03 हैक्ट. गेमु आचा, आराजी संख्या 99 रकबा 2.35 हैक्ट, आराजी संख्या 100 रकबा 0.57 हैक्ट आराजी संख्या 101 रकबा 1.67 हैक्ट, आराजी संख्या 592 रकबा 0.05 हैक्ट, गेमु आचा, आराजी संख्या 597 रकबा 0.30 हैक्ट, आराजी संख्या 604 रकबा 0.30 हैक्ट, आराजी संख्या 605 रकबा 0.26 हैक्ट आराजी संख्या 606 रकबा 0.37 हैक्ट, आराजी संख्या 1049 रकबा 0.55 हैक्ट, आराजी संख्या 1050 रकबा 4.60 हैक्ट, आराजी संख्या 1051 रकबा 0.25 हैक्ट, आराजी संख्या 1053 रकबा 0.44 हैक्ट, आराजी संख्या 1054 रकबा 0.09 हैक्ट, आराजी संख्या 1056 रकबा 0.04 हैक्ट, आराजी संख्या 1057 रकबा 0.21 हैक्ट, आराजी संख्या 1058 रकवा 0.08 हैक्ट, आराजी संख्या 2330/96 रकबा 1.01 हैक्ट, कुल किता 18 कुल रकबा 13.17 हैक्ट. भूमि राजस्व खाता संख्या 251 पर दर्ज रेकार्ड हैं। प्रमाण नकल जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 पेश की हैं। संयुक्त हिन्दु परिवार के मुल पुरूष भैराजी की मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के पश्चात नामान्तरणकरण सं[illegible] दिनांक 12.07.2014 को फैसल किया गया जिसमें उनके दोनों पुत्र केसर व लक्ष्मन [illegible] के वारिस थे। जिनका नाम बतौर खातेदार दर्ज किया गया तथा उ[illegible] नन्दु व [illegible] का नाम भी बतौर खाते में दर्ज किया गया। कालान्तर में खातेदार लक्ष्मण [illegible]। केवल [illegible] उसकी पत्नी अणछी जीवित हैं तथा लक्ष्मण दिनांक 12.10.201[illegible] को फौत हो गया। त[illegible]र बीमारी से ग्रसीत था। जिसका ईलाज एवं सारा खर्च उसके बड़े भाई केसर ने वहन किया। मरने से पूर्व लक्ष्मण ने अपने भाई केसर के पुत्र नारायण को, जो अभी नाबालिग है, को जाति समाज के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 17:21:16 IST
Reason: SelfAttested

रिवाज से गौद पुत्र की हैसियत से उत्तराधिकारी बनाया तथा लहरियां बंधवा दिया। अब वर्तमान में उसकी पत्नी अणछी जीवित है जिसके मन में शुरू से ही उक्त भूमियों में निहित हिस्से को खुर्द बुर्द करने की रही। जिससे उसने पटवार हल्का एवं ग्राम पंचायत में केवल मात्र अपने नाम पर विरासत दर्ज करवाने का आवेदन प्रस्तुत कर दिया। जबकि वादी नारायण अभी नाबालिग है, वह भी लक्ष्मण के हिस्से का उत्तराधिकारी होकर प्रथम श्रेणी का वारिस हैं। यह कि मृतक लक्ष्मण के कोई औलाद नहीं थी जिससे उन्होंने पूर्ण रस्मों रिवाज से सम्पूर्ण समाज के समक्ष उसके प्राकृतिक पिता केसर जो लक्ष्मण के भाई है, से गोद लिया और अपने जीवित रहते तक उसे पुत्रवत् साथ रखा। नारायण ने उनकी मृत्यु उपरान्त सामाजिक क्रियाक्रम व पिण्डदान आदि कार्य किये तथा लक्ष्मण ने मृत्यु से पूर्व दिनांक 22.07.2016 को समाज एवं गांव के लोगों के सामने बही में नारायण को गोद रखने की लिखा पढ़ी करवाई, जो साथ प्रस्तुत हैं। उक्त वर्णित आराजियात में मृतक लक्ष्मण का 1/4 हिस्सा निहित हैं। वादी एवं उसकी गोद माता अणछी दोनों उसकी प्रथम श्रेणी के वारिस हैं। वादी का वाद वर्णित भूमियों में 1/8 हिस्सा बनता है। इसी अनुसार वादी खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी हैं। यह कि प्रतिवादी संख्या 02 अणछी देवी जो वादी की गोद माता है। जो भूमियां तन्हा अपने नाम पर दर्ज करवा सम्पूर्ण भूमियों में निहित हिस्सा खुर्द बुर्द करना चाहती हैं। अतः वादी की सादर प्रार्थना है कि घोषणात्मक डिक्री खातेदारी अधिकार की बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 2 इस आशय की जारी फरमाई जायें कि राजस्व ग्राम गल्यावडी पटवार मण्डल खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा की बैरून हल्का आबादी में स्थित खाता संख्या 251 में अंकित आराजियात कुल किता 18 कुल रकबा 13.17 हैक्ट भूमि के 1/8 हिस्से का वादी खातेदार काश्तकार हैं तथा हिस्से अनुसार भूमि अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज करवाने का अधिकारी है। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरुद्व प्रतिवादी संख्या 02 इस आशय की जारी फरमाई जावें कि उक्त वर्णित आराजियात को प्रतिवादियां संख्या 02 किसी अन्य को रहन बय बक्षीश या अन्य किसी भी तरीके से हस्तान्तरित नहीं करें तथा प्रतिवादियां संख्या 02 मुझ वादी को मेरे हिस्से की भूमि से बेदखल नहीं करें, न किसी अन्य से करावें। मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 09.04.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया तथा प्रतिवादी संख्या 5, 6 फॉरमल पक्षकार है।

वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र के समर्थन में केसर पिता भैरा व कस्तुर पिता कजोड़ गुर्जर निवासी गल्यावड़ी के बयान कराये गये जिसमें नारायण लाल को गोद रखना बताया गया है। वादी द्वारा अणछी बेवा लक्ष्मण की ओर से लिखा हुआ इकरार नामा पेश किया गया जिसमें अंकन किया कि मृतक लक्ष्मण के कोई औलाद नही हुई है में एकमात्र पत्नि हुँ वादी के नाम भूमि दर्ज करने में कोई आपत्ति नहीं होना अकिंत किया।

मैने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन कर अध्ययन किया तो पाया कि ग्राम गल्यावड़ी की आराजी संख्या 98 रकबा 0.03 हैक्ट, गेमु आचा, आराजी संख्या 99 रकबा 2.35 हैक्ट, आराजी संख्या 100 रकबा 0.57 हैक्ट आराजी संख्या 101 रकबा 1.67 हैक्ट, आराजी संख्या 592 रकबा 0.05 हैक्ट, गेमु आचा, आराजी संख्या 597 रकबा 0.30 हैक्ट, आराजी संख्या 604 रकबा 0.30 हैक्ट, आराजी संख्या 605 रकबा 0.26 हैक्ट आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 17:21:16 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 606 रकबा 0.37 हैक्ट, आराजी संख्या 1049 रकबा 0.55 हैक्ट, आराजी संख्या 1050 रकबा 4.60 हैक्ट, आराजी संख्या 1051 रकबा 0.25 हैक्ट, आराजी संख्या 1053 रकबा 0.44 हैक्ट, आराजी संख्या 1054 रकबा 0.09 हैक्ट, आराजी संख्या 1056 रकबा 0.04 हैक्ट, आराजी संख्या 1057 रकबा 0.21 हैक्ट, आराजी संख्या 1058 रकवा 0.08 हैक्ट, आराजी संख्या 2330/96 रकबा 1.01 हैक्ट, कुल किता 18 कुल रकबा 13.17 हैक्ट, भूमि राजस्व खाता संख्या 251 पर दर्ज रेकार्ड हैं जिसमें भैरा पिता किका का 1/2 हिस्सा दर्ज है और भैरा के फोत होने से भैरा के वारीसान के रूप में केसर लक्ष्मण नन्दु और सोनी के नाम विरासत से दर्ज हुई इसमें लक्ष्मण का हिस्सा 1/8 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। वादी लक्ष्मण के नाम दर्ज भूमि को गोदनामे के आधार पर दर्ज कराना चाहता है जबकि वादी की ओर से पत्रावली में किसी प्रकार का कोइ रजिस्टर्ड गोदनामा प्रस्तुत नही किया है साथ ही मृतक लक्ष्मण के विधिक वारीसान के रूप में उसकी पन्नि अणछी बाई मौजुद है अर्थात वादपत्र के अनुसार दिनांक 12.10.2017 को लक्ष्मण फोत हुआ उस दिन उसकी पत्नि अणछी बाई मौजुद थी ऐसी स्थिति में मृतक लक्ष्मण की विधिक वारीस अणछी बाई बनती है। अगर अणछी अपने हक हिस्से की भूमि किसी को भी किसी भी रूप में दे वो स्वंतत्र है वादी गोद के आधार पर भूमि अपने नाम दर्ज कराने हेतु वाद पेश किया गया है जो इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार से बाहर है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार योग्य नही है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद गोद नामे से सम्बधित है और वादी द्वारा कोई रजिस्टर्ड गोदनामा प्रस्तुत नही किया गया है और मात्र मृतक की पत्नि अणछी से एक इकरार लिखवा कर पेश किया जो वाद को सिद्व करने में असफल रहा है तथा प्रकरण से राजस्व हानि की भी संभावना है। अतः वादी का वाद अस्वीकार किया जाता है। इसी अनुसार अन्तिम डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22.02.2022
सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 17:21:16 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–29 / 2021 (2021 / 73) वाद पत्र

उनवान

1–नारायण पिता केसर गुर्जर नाबाबेवि माता मानी गुर्जर निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर

वादी

बनाम

1–केसर पिता भैरा गुर्जर निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–अणछी पत्नि लक्ष्मण गुर्जर निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–गणेश पिता कीका गुर्जर निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–सुन्दरदेवी पत्नि भैरूलाल गुर्जर निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
6–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट.

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद गोद नामे से सम्बधित है और वादी द्वारा कोई रजिस्टर्ड गोदनामा प्रस्तुत नही किया गया है और मात्र मृतक की पत्नि अणछी से एक इकरार लिखवा कर पेश किया जो वाद को सिद्व करने में असफल रहा है तथा प्रकरण से राजस्व हानि की भी संभावना है। अतः वादी का वाद अस्वीकार किया जाता है। इसी अनुसार अन्तिम डिकी जारी हो।

वाद में डिकी आज दिनांक 22.02.2022 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

22.02.2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 17:21:16 IST
Reason: SelfAttested